तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/टीए/408/2006/सीकर महादू बनाम प्रभाती	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री श्याम बाबू पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री दुनी चन्द्र, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 07.03.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 व धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम चारणवास (नाडा) की तन में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 188, 190, 193 से 199, 202, 203 व 204 कुल किता 12 कुल रकबा 5.10हैक्टयर में से हिस्सा 1/5 के खातेदार भगाराम, गौरूराम, झाबरमल, भवरलाल, सेडूराम एवं प्रभाती एवं आराजी खसरा नम्बर 571 एवं 572 कुल किता दो रकबा 3.43हैक्टयर में से हिस्सा 1/4 के खातेदार हनुमान ने तहसीलदार, दातारामगढ के समक्ष काश्त की सुविधा के मद्देनजर उक्त भूमि का आपस में अदल–बदल /विनिमय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की, तत्पश्चात् आदेश दिनांक 18–05–2004 से तहसीलदार, दांतारामगढ ने विवादित आराजी के विनिमय की स्वीकृति प्रदान की, जिसके आधार पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/408/2006/सीकर महादू बनाम प्रभाती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्षकारान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 7–7–2004 को स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध प्रभाती, गोरूराम, झाबरमल एवं भागराम ने जिला कलक्टर, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–5–2005 से स्वीकार कर तहसीलदार द्वारापारित विनिमय आदेश दिनांक 18–5–2004 तदन्तर्गत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 142 ग्राम चारणवास दिनांक 7–7–2004 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। उनका कथन है कि पक्षकारों की सहमति के आधार पर प्रस्तुत विवादित भूमि के विनिमय दस्तावेज को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया एवं विनिमय दस्तावेज को उप पंजीयक ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में सहमति व स्वीकृति से पंजीयन किया, जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा दो अलग अलग आदेशों के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की, जो कानूनन चलने योग्य नहीं थी। उनका कथन है कि विनिमय आदेश के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 142 स्वीकृत किया गया था, जब तक विनिमय आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया जाता, उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकण निरस्त किया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/408/2006/सीकर महादू बनाम प्रभाती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा उक्त तथ्य एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार को धोखा देकर कपटपूर्वक विनियम तहसीलदार से करवा लिया तथा जिन आराजियात का विनिमय किया गया, उनकी किस्म व रकबा भी समान नहीं है। उनका कथन है कि विनिमय नियमानुसार समान किस्म व समान रकबा व सामन शुल्क की भूमियों का ही किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा जारी विनिमय आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में लालूराम उर्फ लालचन्द की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/408/2006/सीकर महादू बनाम प्रभाती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विलम्ब को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाकै ग्राम चारणवास (नाडा) की तन में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 188, 190, 193 से 199, 202, 203 व 204 कुल किता 12 कुल रकबा 5.10हैक्टयर में से हिस्सा 1/5 के खातेदार भगाराम, गौरूराम, झाबरमल, भवरलाल, सेडूराम एवं प्रभाती एवं आराजी खसरा नम्बर 571 एवं 572 कुल किता दो रकबा 3.43हैक्टयर में से हिस्सा 1/4 के खातेदार हनुमान ने तहसीलदार, दातारामगढ के समक्ष काश्त की सुविधा के मद्देनजर उक्त भूमि का आपस में अदल–बदल /विनिमय का प्रस्तुत किया, जिस पर सभी पक्षकारान के फोटों एवं हस्ताक्षर है। उक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की, तत्पश्चात् आदेश दिनांक 18–05–2004 से तहसीलदार, दांतारामगढ ने विवादित आराजी के विनिमय की स्वीकृति प्रदान की, जिसके आधार पर पक्षकारान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 7–7–2004 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा निष्पादित विनियम दस्तावेज के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 7–7–2004 स्वीकृत किया गया था। जब तक विनिमय आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया जाता, उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकण में कोई अनियमितता होना नहीं माना जा सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/408/2006/सीकर महादू बनाम प्रभाती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय दिनांक 19–05–2005 को निरस्त किया जाता है तथा विनिमय के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 142 दिनांक 7–7–2004 को बहाल रखा जाता है। न्यायहित में अप्रार्थीगण चाहे तो विनिमय आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर चाहा गया अनुंतोष प्राप्त कर सकते है। निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/408/2006/सीकर महादू बनाम प्रभाती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए